रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2013/चैत्र 21, 1935

No. 106] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2013/CHAITRA 21, 1935

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2013

सं. 1-84/एसपी/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई-2012.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिनको केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे;

पूर्वोक्त प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, —

(क) अध्याय 3 में-

(i) विनियम 3.1.3 के उप-विनियम (5) में, 'अन्य' शब्द के स्थान पर, 'कार्बनिकृत और अकार्बनिकृत सुपेय' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विनियम 3.1.6 में उप-विनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(11) विभिन्न खाद्यों में मिथाइल सेलूलोज का उपयोग नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा :—

क्रम सं.	खाद्य वस्तु	अधिकतम स्तर
1.	सलाद ड्रेसिंग/ म्योनेज	3 प्रतिशत

(12) विभिन्न खाद्यों में कार्बोक्सी मिथाइल सेलूलोज का उपयोग नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा :—

क्रम सं.	खाद्य वस्तु	अधिकतम स्तर
1.	ड्रेसिंग और सौसेज	जीएमपी ";

(iii) विनियम 3.1.17 में नीचे दी गई सारणी में, —

(अ) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
" 8	पोटेशियम आयोडेट	ब्रेड	50 "

(आ) क्रम सं. 14 से संबंधित सभी स्तंभों में सभी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परिशिष्ट अ में,—

(i) सारणी 1 में क्रम सं. आ में मद सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
	" 12 मिथाइल सेलूलोज	-	अधिकतम 2 प्रतिशत";

(ii) सारणी 2 में क्रम सं. आ में मद सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"2	कार्बोक्सी मिथाइल सेलूलोज	अधिकतम 0.5 प्रतिशत	अधिकतम 0.5 प्रतिशत	-	-	-	-		जीएमपी	-	-";

(iv) सारणी 3 में, —

(अ) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"2	डेयरी आधारित पेय, सुवासित और/या किण्वित (अर्थात् चौकलेट, दूध, कोको, एगनॉग) यूएचटी पाश्च्यूरिकृत दुग्ध जिसका तीन मास तक उपभोग किया जा सकता है ।	-	-	कैरेजिनन - सिंगली - जीएमपी पैक्टिंग - सिंगली जीएमपी मोनो वसा अम्लों के डिग्लीसेराइड्स - सिंगली - जीएमपी लेसीथीन - सिंगली जीएमपी सोडियम एलजिनेट और कैल्शियम एलजिनेट - सिंगली जीएमपी, जानथम गम, सिंगली - जीएमपी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलूलोज सिंगली जीएमपी, ग्वार गम- सिंगली-जीएमपी, गेलन गम (केवल पाश्च्यूरिकृत और यूएचटी डेयरी आधारित पेय)- जीएमपी	-	-	-	-	-";

(आ) क्रम सं. 24 और 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"24	अनुरक्षित चपातियां	-	सोरबिक अम्ल - अधिकतम 1500 पीपीएम	मिथाइल सेलूलोज अधिकतम 2 प्रतिशत	-	-	-	-	-";
31	केक और पेस्ट्री	-	सोरबिक अम्ल जिसके अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम और कैल्सियम लवण है (सोरबिक अम्ल के अनुसार परिगणित)- अधिकतम 1500 पीपीएम	सुक्रोग्लिसराइड्स - (केवल केकों में), हाइड्रोक्सी प्रोपील मिथाइल सेलूलोज, वसा अम्लों का सुक्रोज इस्टर - जीएमपी मिथाइल सेलूलोज (केवल केकों में) - अधिकतम 3 प्रतिशत			सोडियम फमरेट - पोटेशियम मैलेट - सोडियम हाइड्रॉक्साइड - जीएमपी	बैक्टिरियल अमिलेस बेकिंग पाउडर, अमोनियम बाइकार्बोनेट जीएमपी, अमोनियम कार्बोनेट - अधिकतम 500 पीपीएम	

(v) सारणी 10 में, क्रम सं. ट में मद सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"7	कार्बोक्सी मिथाइल सेलूलोज	-	-	-	-	-	-	जीएमपी (केवल सॉसेज में)	-	-	-	-	-	-	-";

के. चन्द्रमौली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187-ओ/13]

पाद टिप्पण - मूल विनियम अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2013.

No. 1-84/SP (Notification)/FSSAI-2012.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (2) of section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110 002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above, shall be considered by the aforesaid Authority.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulation, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011, –

(a) in chapter 3—

(i) in regulation 3.1.3, in sub-regulation (5) after the words "similar milk product based sweets sold by any name", the words " carbonated and non-carbonated beverages" shall be inserted;

(ii) in regulation 3.1.6, after sub-regulation (10), insert the following sub-regulations, namely:—

"(11) Use of Methyl Cellulose in various foods, not exceeding the maximum level mentioned in column 3 of the table given below:—

Sl No	Article of food	Maximum level
1	Salad dressing/mayonnaise	3 per cent

(12) Use of Carboxymethyl Cellulose in various foods, not exceeding the maximum level mentioned in column 3 of the table given below:—

Sl No	Article of food	Maximum level
1	Dressing and sauces	GMP";

(iii) in regulation 3.1.17, in the Table given thereunder,—

(A) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"8.	Potassium Iodate	Bread	50"

(B) all the entries in all columns relating to serial number 14 shall be omitted;

(b) in Appendix A,-

(i) in the Table 1, in serial number B, after item number 11 and the entries relating thereto, the following item number and the entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
	"12 Methyl Cellulose	-	2 per cent max";

(ii) in Table 2, in serial number B, for item number 2 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"2	Carboxymethyl cellulose	0.5 per cent. max	0.5 per cent. max	-	-	-	-		GMP	-	-";

(iv) in Table 3,-

(A) for serial number 2 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"2	Dairy based drinks, flavoured and / or fermented (e.g. chocolate, milk, cocoa, eggnog) UHT sterilized milk shelf life more than three months.	-	-	Carageenan-Singly- GMP Pectin- Singly- GMP Mono diglycerides of fatty acids - Singly – GMP lecithin - Singly GMP sodium alginate and calcium alginate - singly GMP, Xantham Gum, singly- GMP, Microcrystalline cellulose singly GMP, Guar Gum- Singly - GMP, Gellan gum (only in sterilized and UHT dairy based drinks) –GMP	-	-	-	-	-";

(B) for serial numbers 24 and 31, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Preserved Chapatis	-	Sorbic Acid – 1500 ppm maximum	Methyl Cellulose- 2 per cent. maximum	-	-	-	-	-
31	Cakes and Pastries	-	Sorbic Acid including Sodium, Potassium and Calcium Salt (Calculated as Sorbic Acid)- 1500 ppm maximum	Sucroglycerides - (only in cakes), Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Sucrose esters of fatty acids- GMP Methyl Cellulose (only in cakes) - 3 per cent maximum	-	-	Sodium Fumarate, Potassium Malate, Sodium hydroxide - GMP	Bacterial Amylase Baking Powder, Ammonium bicarbonate-GMP, Ammonium Carbonate-500 ppm maximum	-

(v) in Table 10, in serial number K, after item number 6 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"7	Carboxymethyle cellulose	-	-	-	-	-	-	GMP (only in sauces)	-	-	-	-	-	-	-".

K. CHANDRAMOULI, Chief Executive Officer
[ADVT III/4/Exty./187-O/13]

Foot Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number 2-15015/30//2010, dated the 1st August 2011.

1463GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.